स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

—:: आदेश ::—

दशहरा पर्व, 2013 के अवसर पर पूजा–अर्चना एवं पूजा पंडाल में आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किशनगंज शहरी क्षेत्र में पूर्वाह्न 04:00 बजे से मध्य रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहन के आवागमन पर रोक लगाई जाती है।

02) उक्त अवसर पर दिनांक 11.10.2013 से 14.10.2013 के अपराह्न 03:00 बजे से मध्य रात्रि 12:00 बजे तक मार्गो में हलके वाहन यथा–मोटर साईकिल, स्कूटर आदि (पुलिस एवं प्रशासन के वाहन को छोड़कर) के गमनागमन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

1. डे–मार्केट से अस्पताल रोड–फलपट्टी चौक–गुदरी चौक तक।
2. गाड़ीवान मुहल्ला–रूईधासा–खगड़ा रोड।
3. गुदरी चौक से लोहाड़पट्टी चौक तक
4. सुभाषपल्ली चौक से पश्चिमपाली चौक तक
5. लाईन मुहल्ला झुलन मंदिर से सुभाषपल्ली चौक तक
6. कैलटेक्स चौक से धर्मशाला रोड होते हुए चॉदनी चौक तक
7. गॉधी चौक से महावीर मार्ग–धरमगंज चौक

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज मुख्य चौक चौराहों पर आवश्यकतानुसार ट्राफिक पुलिस/महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज समय पूर्व इसका वृहद् प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह./–
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1178/सी., किशनगंज, दिनांक 9/10.2013.

प्रतिलिपि :– **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/उप विकास आयुक्त/जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, अपर समाहर्त्ता–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/13

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।